

इन्द्राज पुरखी

अवेदन

पुनः 283
10/15

विषय - जमाबन्दी खाता संख्या 31

से इन्द्राज पुरखी

महोदय

उपरोक्त विषय-तर्गत निवेदन है कि ग्राम **मुहुसुई** की जमाबन्दी संख्या **2070-2073** के खाता संख्या **31** में मरी जाति, ~~ग्राम~~ ~~हिस्सा~~ ~~प्रविधि~~ **चमार** है जबकि मरी सही ~~ग्राम~~ जाति, ~~हिस्सा~~ ~~प्रविधि~~ **बैरा** है।
इस सही ~~ग्राम~~ जाति, ~~हिस्सा~~ ~~प्रविधि~~ **बैरा** में दर्ज करवा कर दुरुन्ती करयाने की कृपा करावे।
दिनांक **17/15**

~~इन्द्राज पुरखी~~
प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

इन्द्राज
गवाह के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

जांचि रिपोर्ट (भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का)

महोदय,

रिकार्ड जमाबन्दी संख्या **2070-2073 मुहुसुई** के खाता संख्या **31** में प्रार्थी **देवीलाल** पुत्र **रामचन्द्र** ~~ग्राम~~ जाति/हिस्सा/प्रविधि **चमार** में दर्ज है इसके स्थान पर प्रार्थी का ~~ग्राम~~ जाति/हिस्सा/प्रविधि **बैरा** सही करवाना चाहता है। मैंने इसकी जांच कर ली है, प्रस्तावित ~~ग्राम~~ जाति/हिस्सा/प्रविधि सही पाई गई अतः प्रस्तावित ~~ग्राम~~ जाति/हिस्सा दर्ज किए जाने सचित है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी मय दिनांक

कार्यालय तहसीलदार मंगोपुर सिटी कैम्प
क्रमांक - भूअ./प्रमारा/2013/

दिनांक 10/15

मूल ही श्रीमान उपरोक्त अधिकारी महोदय मंगोपुर सिटी का प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी श्री **देवीलाल** पुत्र श्री **रामचन्द्र** जाति **बैरा** निवासी **मुहुसुई** तहसील मंगोपुर सिटी का नाम/जाति/प्रविधि **चमार** में दर्ज है जबकि मरी सही जाति/हिस्सा/प्रविधि **बैरा** में दर्ज है।
इस सही जाति/हिस्सा/प्रविधि में दर्ज करवा कर दुरुन्ती करयाने की कृपा करावे।

दिनांक

(सुभाष प्रसाद मोना)
तहसीलदार मंगोपुर सिटी

दो. अदालत कैम्प महुकला

10.7.5 - प्रार्थी देवीमाल ने ग्राम गहुबुई की जमाबन्दी सं० 2070 में खारा सं० 31 में दर्ज जाती "चमार" के स्थान खैरवा करमे का निवेदन किया है। हल्का परवारी ILR व तस्मीलदार गंगपुर सिटी ने भी उक्त खाले में दर्ज जाती "चमार" के स्थान पर "खैरवा" संशोधन करने की रिपोर्ट पेश की है। अतः तस्मीलदार गंगपुर सिटी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गहुबुई की जमाबन्दी सं० 2070-73 में खारा संख्या 31 में दर्ज जाती "चमार" के स्थान पर खैरवा संशोधन करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तस्मीलदार गंगपुर सिटी को लिखा जावे।


उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी
कैम्प - महुकला

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प महुकलॉ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महुकला भू.अ.नि. गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम महुखुर्द तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में खाता संख्या 31 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	महुखुर्द	31	देवीलाल पुत्र रामचंद जाति चमार	देवीलाल पुत्र रामचंद जाति बैरवा (खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी ।)



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक:- 10 जुलाई 2015

क्रमांक:- 964-66

प्रतिलिपि:-

- 1.तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी देवीलाल पुत्र रामचंद को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

